21.5.16 पत्रावली कोर्ट कैम्प मालोला पर पेश। वादी. प्रतिवादी सं० 1 उपस्थित। वादी ने बताया की सरकार द्वारा मेजा बांध मे जो भूमि डूब मे गयी उस की एवज मे भूमि आँवटन की व वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के पिता पोखर जी व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 06 के नाना पोखर जी की एवज मे मौहल्ला मालोला पटवार हल्का मालोला के खातेदार आराजी नम्बर 103/47 सम्पूर्ण व 103/48 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या।

जो कोरवर जी का सबसे बड़ा पुत्र
होने व वादी प्रतिवादी स०1 शामलाती
तौर पर निवास करने पर आँवटन
हुई थी।

साबिक आराजी नम्बर 103/57 के
आ.न 381, 382, 384, 385, 386, 388
कुल किता 06 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा
है सम्पूर्ण आराजियात प्रतिवादी स0 01 के
नाम पर दर्ज है व साबिक आराजी
नम्बर के 103/59 के आ.न 383, 390
कुल रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा है
जिसमें प्रतिवादी स01 का 1/2 हिस्सा दर्ज
रेकार्ड है उक्त विवादित आराजियात
प्रतिवादी स01 को आवंटित हुई थी/ उक्त
भूमि नाना कोरवर जी की जमीन
डूब में आने से आवंटन प्रतिवादी स01 को
हुई थी जिस पर वादी का जन्म से
हक अधिकार है अतः वादी का हक
हिस्सा अनुसार लिपत है।

अतः वादी को हक हिस्सानुसार
प्रतिवादी स01 के साथ खातेदारी काश्तकार
घोषित किया जावे।

प्रतिवादी स01 ने बताया कि उक्त
विवादित भूमि मेरे नाम पर अलॉट हुई
है वादी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता
है।

शजरा रेकार्ड व वादी, प्रतिवादी स01
के मौखिक बहस सुनी गई उक्त विवादित
आराजी ग्राम मालोला के आ.न 381, 382,
384, 385, 386, 388, 383, 390 भूमि
प्रतिवादी स01 को आवंटन होने से
वादी का हक हिस्सा नहीं बनता है वादी
का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर
खारिज किया जाता है।

आज यह निर्णय कैम्प कोर्ट मालोला
पर खुले आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो

(उम्मेद सिंह राजावत)

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेदसिंह राजावत

श्री मोहन पिता स्व. पोखर चमार निवासी नारायणपुरा **उनवान** बनाम (1) देबी पिता स्व. पोखर चमार नारायणपुरा (2) नानु पुत्र हजारी माता सोनी चमार नि० खाखरियाखेड़ा (3) रामचन्द्र, (4) प्रेमु, (5) सुगना, (6) कमला, पिता हजारी माता सोनी चमार प० शंकर चमार नि० सुराज (7) श्रीमती सायली बेवा मांगु चमार नि० नारायणपुरा भिलवाड़ा।

दावा बाबत 88, 89, 92 व एवं 188 आ.ख.अ.

मुकदमा नम्बर :- 214/12

निर्णय दिनांक :- 21.5.15

वादी की ओर से वादी की व प्रतिवादी की ओर से प्रति स० । की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.5.16 को मालोला (नाम पीठासीन अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम मालोला के आ.न. 381, 382, 384, 385, 386, 388, 383, 390 की भूमि प्रतिवादी सब को आवंटन होने से वादी का हक हिस्सा नहीं बनता है, वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.5.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर.......

वाद के खर्चे